

फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत

580

मुकाम

कीर्तिपुर

शंकर लाल

बनाम

कीर्ति शर्मा काठ

किस्म मुकदमा

53 R.T.A.Y

नं.

31/18

सन्

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हुए
3.5.18	<p>राजस्व लोक अदालत अभियान न्याय आपके द्वार 2018 के तहत कैम्प कोर्ट <u>महुडा</u> पर प्रार्थी द्वारा इस आशय का वाद पत्र अन्तर्गत धारा <u>53</u> आर. टी. एक्ट के तहत पेश किया कि</p> <p><u>शंकर लाल / शंकर लाल 15 म्म</u> <u>मन्दी काठ / प्रेमचन्द के आपसी सम्बन्ध</u> <u>अनुसूचित विधवा प्रत्याग करार</u> <u>पदाधिकार गच्छ।</u></p> <p>पत्रावली दर्ज रजिस्टर की जाकर वादी एवं प्रतिवादी को सुना गया। प्रतिवादी द्वारा कोई आपत्ति दर्ज नहीं कराई गई।</p> <p>अतः वाद वादी स्वीकार किया जाकर आदेश दिया जाता है कि</p> <p>सौजा ① <u>उत्तरवासी</u> <u>शंकर लाल / शंकर लाल का</u> <u>595 म्म, 0.1050 0.73</u> <u>शंकर लाल / प्रेमचन्द का</u> <u>595 म्म, 0.1050 0.74</u></p> <p>इसी अनुसार डिक्री जारी की जाकर पालना हेतु तहसीलदार बडीसादड़ी को लिखा जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से काम</p>	

(जितेन्द्र कुमार पाण्डे)



RAS
 पीठासीन अधिकारी, लोक अदालत
 उपखण्ड अधिकारी एवं
 पदेन सहायक कलेक्टर
 बडीसादड़ी (राज.)